न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 81/2018 (उदयपुर डिक्री)

1. मृतक टेकचन्द पिता अम्बालाल जी कुम्हार, निवासी गांव नाई के बजाय :–

1/1. श्रीमती भंवरी बाई पत्नी स्व. टेकचन्द जी कुम्हार, निवासी गांव नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. ताराचन्द प्रजापत पुत्र स्व. टेकचन्द जी कुम्हार, निवासी गांव नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती नर्बदा पुत्री स्व. टेकचन्द पत्नी कैलाशचन्द प्रजापत, निवासी मटाटा, कैलाशपुरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. नेमीचन्द प्रजापत पुत्र स्व. टेकचन्द जी कुम्हार, निवासी गांव नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. रतनलाल प्रजापत पुत्र स्व. टेकचन्द जी कुम्हार, निवासी गांव नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. तुलसीराम पिता भंवरलाल जी कुम्हार, निवासी गांव नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. ख्यालीलाल पिता भंवरलाल जी कुम्हार, निवासी गांव नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती परताबी पत्नी भंवरलाल जी कुम्हार, निवासी गांव नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लीलाबाई पिता भंवरलाल पत्नी किशनलाल जी कुम्हार, निवासी मटून, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती देउबाई पिता भंवरलाल पत्नी सोहनलाल जी कुम्हार, निवासी मदार, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. देवीलाल पिता अम्बालाल जी कुम्हार, निवासी गांव नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त0 अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक
11–07–2017 प्रकरण संख्या 163/2016

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री नरेश जणवा अभि. रे. सं. 1 से 5, 7
3– श्री कमलेश [illegible] राजकीय अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:22 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u>   <u>दिनांक 10—10—2023</u>

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92—ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के पूर्वाधिकारी भंवरलाल पिता डालचन्द कुम्हार ने मूलखातेदार अम्बालाल से उनके खातेदारी हक की साबिक आराजी नंबर 1169 रकबा 3 बिस्वा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02—03—1976 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त विक्रय पत्र में भूमि की चारों दिशाये अंकित है। उक्त साबिक आराजी के हाल आराजी नंबर 1879 व 1880 बने, जिस पर वादी आज भी काबिज है। मूल क्रेता व विक्रेता की मृत्यु हो चुकी है। क्रेता के वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 6 है। तथा विक्रेता के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हैं। पारिवारिक बन्दोबस्त अनुसार भूमि वादी के अकेले रखी गयी। अतः वादग्रस्त आराजी नंबर 1879 व 1880 का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 11—07—2017 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09—08—2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 व 7 की ओर से वकील श्री नरेश जणवा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। हाल ही में उन्हें जानकारी होने पर नकलें प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस [illegible] कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:22 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 7 द्वारा प्रदान की गयी सहमति के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रालवी का अवलोकन नहीं किया गया है तथा बिना पत्रावली का अवलोकन किये निर्णय पारित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय को विक्रय पत्र अनुसार 3 बिस्वा भूमि का ही खातेदार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को घोषित करना चाहिए था, किन्तु सहवन से सम्पूर्ण रकबे का खातेदार घोषित कर दिया, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री क निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा स्वयं सहमति दी गयी है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट स्वयं ने अपने अपील मीमों की कॉलम संख्या 4 में यह स्वीकार किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 द्वारा प्रदान की गयी सहमति के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपेक्षित निर्णय प्रदान किया गया है। जब स्वयं अपीलान्ट इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि उसके द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद डिक्री किया है तथा आदेशिका दिनांक 11–07–2017 पर भी अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं तथा इस बाबत् सहमति का जवाबदावा भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न है। ऐसी स्थिति में अब अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री को विधि विरूद्ध बताना उचित प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति के आधार पर वाद डिक्री किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–07–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:22 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

टेकचन्द के बजाय श्रीमती भंवरीबाई पत्नी स्व. टेकचन्दजी कुम्हार, निवासी गांव नाई, त्हसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **तुलसीराम पिता भंवरलाल जी कुम्हार, निवासी गांव नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**81 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**11**.....माह.....**07**.....**2017**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**10**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीष शर्मा** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नरेश जणवा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–07–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:22 IST
Reason: SelfAttested